न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :- 19/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/91)

उनवानी प्रकरण :-

द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री मनिका जाति लोधा निवासी ग्राम नगला खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ——————अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर ——————————रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1565 दिनांक 05.06.2016 बॉके ग्राम नगला खरगपुर आदेश तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0

निर्णय **दिनांक : 19.09.2022**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि अपीलान्ट द्वारिका प्रसाद के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 44/3 रकवा 02 बीघा का आवंटन दिनांक 10.08.1994 को विधिवत रूप से किया गया था उक्त आवंटन के अनुसरण में अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 1565 स्वीकार किया गया था। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1565 में अपीलान्ट की जाति लोधा के स्थान पर जाटव अंकित कर दी गई है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट के पक्ष में अपीलाधीन विवाधित आराजी का आवंटन द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री मनिका जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर के नाम से किया गया था। आवंटन प्रमाण पत्र भी द्वारिका पुत्र श्री मनिका

जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर के नाम से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया था तथा अपीलान्ट की वास्तविक जाति भी लोधा ही है लेकिन रेस्पोडेण्ट ने आवंटन आदेश एवं आवंटन प्रमाण पत्र को समुचित रूप से अवलोकन किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण में सदभावी लिपिकीय त्रुटिवश अपीलान्ट की जाति लोधा के स्थान पर जाटव अंकित कर दी है जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश में हुई उक्त सदभावी लिपिकीय त्रुटि का ज्ञान अपीलांट को अर्सा करीब 20 दिवस पूर्व गैर खातेदारी से खातेदारी कराने हेतु नकल जमाबन्दी लेने पर सर्वप्रथम हुआ तथा अपीलाण्ट ज्ञान से अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर रहा है जिसको न्यायोचित में अन्दर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1565 वांके ग्राम नगला खरगपुर आदेश तहसीलदार सैपऊ दिनांक 05.06.2016 निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली तहसीलदार सैपऊ को नामान्तकरण आदेश मे अपीलाण्ट की जाति जाटव के स्थान पर लोधा अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 1565 वांके ग्राम नगला खरगपुर, नकल जमाबन्दी संबत 2070–73 ग्राम नगला खरगपुर, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2070–73, फोटो प्रति आधार कार्ड द्वारिका प्रसाद, फोटो प्रति आवंटन ओदश वहक द्वारिका प्रसाद और फोटो प्रति निर्णय दिनांक 27.10.2015 उनवानी रामेश्वर बनाम बनवारी न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, छाया प्रति संशोधित आदेश आवंटन तारीखी 15.09.1994 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को अर्सा करीब 20 दिवस पूर्व गैर खातेदारी से खातेदारी कराने हेतु नकल जमाबन्दी लेने पर हुआ। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश की गई है। अतः प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम अपील अपीलान्ट

गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारिका प्रसाद के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 44/3 रकवा 02 बीघा का आवंटन दिनांक 10.08.1994 को विधिवत रूप से किया गया था उक्त आवंटन के अनुसरण में अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 1565 स्वीकार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1565 में अपीलान्ट की जाति लोधा के स्थान पर जाटव अंकित कर दी गई है। आवंटन प्रमाण पत्र भी द्वारिका पुत्र श्री मनिका जाति लोधा निवासी नगला खरगपुर के नाम से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया था तथा अपीलान्ट की वास्तविक जाति भी लोधा ही है लेकिन रेस्पोडेण्ट ने आवंटन आदेश एवं आवंटन प्रमाण पत्र को समुचित रूप से अवलोकन किये बिना अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट की जाति लोधा के स्थान पर जाटव अंकित कर दी है जो कि तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण आदेश मे अपीलान्ट की जाति जाटव के स्थान पर लोधा अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट की जाति लोधा के स्थान पर जाटव अंकित कर दी है जो कि जॉच का विषय है। तहसीलदार द्वारा जॉच करने के उपरान्त जाति का अंकन शुद्ध किया जा सकता है। प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारिका प्रसाद के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 44/3 रकवा 02 बीघा का आवंटन दिनांक 10.08.1994 को विधिवत रूप से किया गया था उक्त आवंटन के अनुसरण में अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेण्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 1565 स्वीकार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1565 में अपीलान्ट की जाति लोधा के स्थान पर जाटव अंकित कर दी गई जिसे शुद्व किया जावे। इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध उप खण्डाधिकारी धौलपुर द्वारा जारी आवंटन आदेश का अवलोकन किया गया। आपीलान्ट द्वारिका प्रसाद पुत्र मनिका जाति लोधा निवासी ग्राम नगला खरगपुर के नाम से विवादित आराजी 10.08.1994 को आवटंन की गई है जिसमें

अपीलान्ट की जाति लोधा अंकित है परन्तु अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1565 में अपीलान्ट की जाति लोधा के स्थान पर जाटव अंकित कर दी है जो कि प्रथम दृष्टया तथ्यों के सर्वथा विपरीत प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार सैपऊ को अपीलान्ट की जाति की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1565 दिनांक 05.06.2016 वांके ग्राम नगला खरगपुर तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की जाति की जॉच कर उभयपक्षों सुनकर सही जाति दर्ज करने हेतु पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर
अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)